सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **142/2018** दायर दिनाँक **10.05.2018**

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रहमत बानो पत्नी कमरूदीन, उम्र–45साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. क्यूमखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–55साल, जाति–शेरानी, निवासी–हमीदपुर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. अजीजखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–65साल, 2. गफूरखाँ उर्फ गफारखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–60साल, 3. याकूबखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–52साल, समस्त,जाति–शेरानी, निवासी–हमीदपुर, हाल,निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. यूको बैंक, शाखा–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

दिनाँक **24.06.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त/वादवर्णित भूमियों का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान, पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित/वर्णित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है, कि:—

1. शरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 281 रकबा 13.06 बीघा भूमि में से, रकबा 06.13 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा 06.13 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम, "अजीजखाँ" व "गफूरखाँ" को उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।
2. शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 499 रकबा 11.17 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमन में दर्ज नाम, ''अजीजखाँ'' का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की दीगर भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो।

नजरीनक्शा अनुसूची ''अ'', निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.......... ....–.....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **24.06.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना(नागौर)
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा गुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना(नागौर)
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 142/2018 | दायर दिनाँक 10.05.2018

वादीगण		प्रतिवादीगण
1. रहमत बानो पत्नी कमरुदीन, उम्र–45साल, जाति–शेरानी, निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 2. क्यूमखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–55साल, जाति–शेरानी, निवासी–हमीदपुर, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. अजीजखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–65साल, 2. गफूरखाँ उर्फ गफारखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–60साल, 3. याकूबखाँ पुत्र हासमखाँ, उम्र–52साल, समस्त,जाति–शेरानी, निवासी–हमीदपुर, हाल,निवासी–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 4. यूको बैंक, शाखा–शेरानीआबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 5. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–53, 88, 188, R.T.Act.

उपस्थितः—

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **24.06.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा हमीदपुरा में खसरा नम्बर 281 रकबा 13.06 बीघा व शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 499 रकबा 11.17 बीघा भूमि अवस्थित है जो कि, वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 के संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

प्रार्थना वादी है कि,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

शरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 281 रकबा 13.06 बीघा में से रकबा 06.13 बीघा का वादी संख्या 02 क्यूमखाँ को व रकबा 06.13 बीघा का प्रतिवादी संख्या 03 याकूबखाँ को नजरीनक्शा अनुसार खातेदारी दी जावे तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जावे।

शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 499 रकबा 11.17 बीघा सम्पूर्ण का वादी संख्या 01 रहमत बानो के खातेदारी में घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 का नाम हटाया जावे।

वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीगण ने वाद के समर्थन में शपथ–पत्र, नजरीनक्शा, जमाबन्दी ग्राम हमीदपुर सम्वत् 2071–2074 खेवट संख्या 02/02 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम खाटूखुर्द सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 03/02 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश पेश किया है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्ट कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद में पत्रावली पेश हुई। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 प्रकरण में उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 04 व 05 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाने का आदेश पारित किया गया। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं।

वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ने वाद में राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना, पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। पक्षकारान् की पहचान वकील श्री शरीफ शेरानी ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा पेश किया गया।

उपर्युक्त पेश राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक, संक्षिप्त में वाद वादी अनुतोष के अनुसार दावा डिक्री किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी अनुतोष पर मनन् किया तथा राजीनामा पक्षकारान् पर विचार किया। तत्सम्बन्धी विधि का अवलोकन किया।

वाद का किसी पक्षकार द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी। मिसल पर उपब्ध अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, राजीनामा पक्षकारान् पर विचार किया जाकर व मजमें आम में प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर, शरहद हमीदपुरा के खसरा नम्बर 13.06 बीघा में से रकबा 06.13 बीघा का क्यूमखाँ को व रकबा 06.13 बीघा का याकूबखाँ के हक में तथा शरहद खादूखुर्द में खसरा नम्बर 499 रकबा 11.17 बीघा सम्पूर्ण की खातेदारी रहमतबानो के हक में वाद को डिक्री सादिर किया जाना अज अदालत को जायज लगता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी वादीगण स्वीकार किया जाकर, डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्ब दावा राजीनामा डिक्री सादिर कर, वादग्रस्त/वादवर्णित भूमियों का बन्टवारा, "बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान, पर नजरीनक्शा अनुसूची "अ" में दर्शित/वर्णित मुताबिक, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती है, कि:–

1. शरहद हमीदपुर में खसरा नम्बर 281 रकबा 13.06 बीघा भूमि में से, रकबा 06.13 बीघा भूमि का वादी संख्या 02 को व रकबा 06.13 बीघा

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 142 / 2018
दायर दिनाँक 10.05.2018, निर्णय दिनाँक 24.06.2018
रहमतबानो, वगैरा बनाम् अजीजखाँ, वगैरा।

भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमान में दर्ज नाम, "अजीजखाँ" व "गफूरखाँ" को उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

2. शरहद खाटूखुर्द में खसरा नम्बर 499 रकबा 11.17 बीघा सम्पूर्ण भूमि का वादी संख्या 01 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इस खसरे के राजस्व रिकॉर्ड में वर्तमन में दर्ज नाम, "अजीजखाँ" का नाम उक्त राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाता है।

पक्षकारान् को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि, वे एक–दूसरे की खातेदारी की दीगर भूमि में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न करें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

निर्णय आज दिनाँक 24.06.2018 को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक कलेक्टर (नागौर)
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–शेरानीआबाद

Scanned by CamScanner